



ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण

यह एडिटरियल 18/04/2024 को 'द हट्टि' में प्रकाशित ["The Great Indian Bustard and climate action verdict"](#) लेख पर आधारित है। इसमें जलवायु परिवर्तन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया नरिणय पर चर्चा की गई है और 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' प्रजाति के संरक्षण के लिये इसके नहितार्थ पर प्रकाश डाला गया है।

प्रलिस के लिये:

[डेजरट नेशनल पार्क](#), [ग्रेट इंडियन बस्टर्ड \(GIB\)](#), [अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ \(IUCN\)](#) की [रेड लिस्ट](#), [सपीशीज़ रकिवरी प्रोग्राम](#), [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#), [वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन \(CITES\)](#)।

मेन्स के लिये:

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।

भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने हाल के एक नरिणय में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के [मूल अधिकार](#) के अस्तित्व को मान्यता प्रदान की। इस नरिणय ने पर्यावरणवर्द्धि का उल्लेखनीय रूप से ध्यान आकर्षित किया है, जहाँ उन्होंने मुख्यतः [ग्रेट इंडियन बस्टर्ड \(Great Indian Bustard\)](#) के संरक्षण पर इसके प्रभावों के दृष्टिकोण से विचार किया है। समावेशी जलवायु कार्रवाई के दृष्टिकोण से इस नरिणय का विश्लेषण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उनका तर्क है कि सर्वप्रथम, केवल अधिकार को मान्यता देने तक सीमिति रहकर न्यायालय ने अधिकार के विषय-वस्तु पर उत्पादक चर्चा के लिये समय एवं अवसर की अनुमति प्रदान की है। तदनुसार, यह भविष्य में अधिकार की अधिक सूचना-संपन्न अभिव्यक्तियों को संकषम बना सकता है। दूसरा, इस मामले में वदियमान मुख्य मुद्दे की प्रकृति को देखते हुए, 'जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क' (Just Transition Framework) का उपयोग करना आगे बढ़ने का एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण है। यह अधिक चतितनशील और समावेशी अधिकार की अभिव्यक्ति सहित समतामूलक जलवायु कार्रवाई को सुगम बना सकता है।

'जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क' (Just Transition Framework)

परचिय:

- परभाषा:** 'जस्ट ट्रांजिशन' या न्यायपूर्ण संक्रमण का ढाँचा एक व्यापक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक संवहनीय एवं नमिन-कारबन वाली अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण सभी हितधारकों, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन और अन्य पर्यावरणीय रूप से हानिकारक उद्योगों से दूर होने से प्रभावित होने वाले श्रमिकों और समुदायों, के लिये न्यायपूर्ण एवं समतामूलक हो।
- समावेशी संक्रमण (Inclusive Transition):** यह ढाँचा एक सुचारु और समावेशी संक्रमण की प्राप्ति के लिये सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को एक साथ संबोधित करने की आवश्यकता को पहचानता है।

सामाजिक समता (Social Equity):

- श्रमिक अधिकार:** श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिसमें नौकरी की सुरक्षा, उचित वेतन और संवहनीय कषेत्रों में रोजगार के नए अवसरों के लिये प्रशिक्षण एवं पुनः कौशल कार्यक्रमों तक पहुँच शामिल है।
- सामुदायिक बिकास:** आर्थिक पुनर्गठन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिये स्थानीय अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाओं में निवेश के माध्यम से जीवाश्म ईंधन उद्योगों पर निर्भर समुदायों का समर्थन करना।

आर्थिक न्याय (Economic Justice):

- रोजगार सृजन:** पारंपरिक उद्योगों में खोए रोजगार अवसरों को प्रतिसि्थापित करने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सतत कृषि और अन्य

पर्यावरण-अनुकूल क्षेत्रों में हरति रोजगार अवसरों के सृजन को बढ़ावा देना ।

- **आय सहायता:** संक्रमण अवधि के दौरान प्रभावित श्रमिकों को उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय सहायता, बेरोज़गारी लाभ और अन्य प्रकार की आय सहायता प्रदान करना ।

पर्यावरणीय संवहनीयता (Environmental Sustainability):

- **स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण:** जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण को सुगम बनाना, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी और जलवायु परिवर्तन का शमन होगा ।
- **पर्यावरणीय सुधार:** नषिकरण उद्योगों द्वारा पीछे छोड़े गए प्रदूषण एवं पर्यावरणीय क्षरण की वरिष्ठता को संबोधित करने के लिये पर्यावरणीय सुधार एवं पुनर्बहाली के प्रयासों में निवेश करना ।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard- GIB):

■ परचय:

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Ardeotis nigriceps) राजस्थान का राज्य पक्षी है जिसे भारत की सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति माना जाता है ।
- इसे घासभूमि की प्रमुख पक्षी प्रजाति माना जाता है, जो घासभूमि पारस्थितिकी के स्वास्थ्य को परिलक्षित करती है । इसकी अधिकांश आबादी मुख्यतः राजस्थान और गुजरात राज्य तक सीमित है । इनकी छोटी आबादी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में भी पाई जाती है ।

■ सुरक्षा की स्थिति:

- **अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered- CE)
- **वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES):** परशिष्टि 1
- **प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS):** परशिष्टि 1
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची 1

■ भेद्यता/संवेदनशीलता:

- बजिली पारेषण लाइनों के साथ टकराव एवं वदियुत आघात, शिकार (पाकस्तान में अभी भी प्रचलित), व्यापक कृषि विसितार के परिणामस्वरूप पर्यावास हाना एवं परिवर्तन आदि के कारण यह पक्षी प्रजाति लगातार खतरे का सामना कर रही है ।
- उल्लेखनीय है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड **धीमी गति से आबादी बढ़ाने वाली प्रजाति है** जहाँ वे एक समय में कुछ ही अंडे उत्पन्न करते हैं और लगभग एक वर्ष तक माता-पिता द्वारा चूजों की देखभाल की जाती है । चूजों को परिपक्वता प्राप्त करने में लगभग 3-4 वर्षों का समय लगता है ।

■ भारत की चिंताएँ:

- चोलस्तान मरुस्थल (पाकस्तान) में स्थित घासभूमि पर्यावास, जहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजाति का वृहत रूप से शिकार किया गया, राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क (DNP) पर्यावास के ही समान है जहाँ इस प्रजाति की अंतिम शेष बची जंगली आबादी पाई जाती है ।
- DNP जैसलमेर एवं बाड़मेर शहरों के पास अवस्थित है, जो विशाल थार मरुस्थल का एक भाग है । ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावास की रक्षा के लिये इसे वर्ष 1981 में **राष्ट्रीय उद्यान** घोषित किया गया था ।
- चूँकि राजस्थान पाकस्तान के सधि और पंजाब प्रांतों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये पक्षी वहाँ के शिकारियों के लिये आसान शिकार बन सकते हैं ।
- इस दुर्लभ पक्षी प्रजाति के शिकार से न केवल भारत की GIB आबादी में भारी कमी आएगी, बल्कि मरुस्थल पारस्थितिकी तंत्र पर भी इसका असर पड़ेगा ।

PRESENT GIB POPULATION

State	Birds
Rajasthan	128
Gujarat	10
Maharashtra	8
Karnataka & AP	10



THREATS

- Fatal collision with power-lines
- Nest predation by native predators (fox, mongoose, crow, monitor lizard) and free-ranging dogs
- Hunting in Pakistan
- Agricultural expansion
- Pesticide prevalence (food reduction and contamination),
- Grazing pressure
- Plantation of shrubs and tree species in grasslands,
- Poor land-use policies
- Habitat Loss

POPULATION DECLINE

- GIB population fell by 90% in the 50 years since 1969
- Population size was 1,260 individuals in 1969
- Fell to 745 in 1978
- 600 in 2000
- 250 around 2011
- Less than 150 GIB in 2019

वन्यजीव संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संवैधानिक के [अनुच्छेद 48A](#) में उपबंध किया गया है कि राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्द्धन का और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
- [अनुच्छेद 51A के खंड \(g\)](#) में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव शामिल हैं, रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दया-भाव रखे।
- संवैधानिक का [अनुच्छेद 21](#) यद्यपि व्यक्तियों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्राण या जीवन शब्द की विस्तारित परिभाषा देते हुए मानव जीवन के लिये आवश्यक सभी जीवन रूपों (जिसमें जंतु जीवन भी शामिल है) को अनुच्छेद 21 के दायरे में शामिल माना है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में अद्यतन स्थिति

- वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में जनहति याचिका (PIL):
 - राजस्थान और गुजरात राज्य गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के घर हैं। लेकिन साथ ही ये दोनों राज्य सौर एवं पवन ऊर्जा के विकास की उल्लेखनीय संभावनाएँ रखते हैं। वर्ष 2019 में कुछ लोक उतसाही व्यक्तियों (याचिकाकर्ताओं) द्वारा बस्टर्ड के संरक्षण की मांग करते हुए एक [जनहति याचिका](#) दायर की गई।
 - अंतरिम में, उन्होंने [सौर एवं पवन ऊर्जा अवसंरचना](#) के आगे के निर्माण और इनसे संबद्ध ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइनों को बछिने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि ये बजिली लाइनें खतरनाक हैं जिनसे बार-बार टकराने के कारण बस्टर्ड पक्षियों की मौत हो रही है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण प्रतिबंध:
 - सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नरिणय में 99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ओवरहेड बजिली लाइनें बछिने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया; जिसमें बस्टर्ड संरक्षण के लिये प्राथमिकता क्षेत्र और संभावित क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किये गए क्षेत्र शामिल थे। न्यायालय ने मौजूदा उच्च और निम्न वोल्टेज दोनों तरह के बजिली लाइनों को भूमिगत करने का आदेश भी पारित किया।
- भारत सरकार की आपत्ति:
 - [गैर-जीवाश्म ईंधन](#) की ओर आगे बढ़ने और [कार्बन उत्सर्जन](#) को कम करने पर भारत की अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी। सरकार ने तर्क दिया कि पूर्ण प्रतिबंध उस वास्तविक क्षेत्र से कहीं अधिक बड़े क्षेत्र

के लिये जारी किया गया है जहाँ बस्टर्ड पक्षियों का नविस है।

- सरकार ने कहा कि यह क्षेत्र देश की पवन एवं सौर ऊर्जा क्षमता में एक बड़ी हसिसेदारी रखता है। इसके अलावा, यह तरक दिया गया कि बजिली लाइनों को भूमिगत करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। सरकार ने बस्टर्ड की आबादी में गरिावट के लिये अवैध शकार, पर्यावास वनाश और इन पक्षियों द्वारा शकार करने के अवसर जैसे अन्य कारकों को ज़मिेदार ठहराया।

■ SC द्वारा आदेश वापस लेना:

- एम.के. रणजीतसहि बनाम भारत संघ मामले में 21 मार्च 2024 को अपने नरिणय में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए ट्रांसमशिन लाइनों पर पूर्ण प्रतबिंध को नरिसत् कर दिया। न्यायालय ने आदेश पर पुनर्वचार के मुद्दे को वैज्ञानिक वशिषज्जों पर छोड़ दिया।

- इस क्रम में भूमिगत पावर लाइनों की व्यवहार्यता का आकलन करने और बस्टर्ड संरक्षण के उपायों की पहचान करने के लिये एक वशिषज्ज समिति की स्थापना की गई। इस समिति द्वारा जुलाई 2024 तक अपनी रिपोर्ट सौंपी जानी है, जिसके बाद न्यायालय अपना अंतिम नरिणय सुनाएगा।

एम.के. रणजीत सहि बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के वभिन्न नहितारथ:

■ पर्यावरणीय न्यायशास्त्र की रूपरेखा का वसितार:

- SC ने पर्यावरणीय न्यायशास्त्र की रूपरेखा का वसितार किया है। इसका वसितार बार-बार दोहराए जाने वाले प्रदूषक भुगतान सिद्धांत-नवारक सिद्धांत-सार्वजनिक वशिवास सिद्धांत (polluter pay principle-precautionary principle-public trust doctrine) से जलवायु न्याय, पर्यावरणीय असमानता और लैंगिक न्याय के वृहत क्षेत्र तक किया गया है।

■ पर्यावरणीय न्याय सुरक्षति करना:

- लंबे समय से पर्यावरणीय ववादों को 'पर्यावरण बनाम विकास' के बहस के संकीरण चश्मे से देखा जाता रहा है। इस नरिणय में न्यायालय ने इस ववआधार से आगे बढ़ते हुए संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय कानूनी परपिरेक्ष्य एवं सिद्धांतों के दृष्टिकोण से कुछ ववविदासपद मुद्दों को संबोधति करने की कोशशि की है।
- हालाँकि नरिणय में नवीकरणीय ऊर्जा के लाभों पर अत्यधिक बल देने के बारे में चतिाएँ व्यक्त की गई हैं, कई मायनों में यह एक दृष्टांत या मसाल का भी नरिमाण करता है (राष्ट्रीय के साथ ही वैश्विक स्तर पर) और तेज़ी से गरम एवं शुष्क होते जा रहे वशि्व में पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिये एक प्रभावी साधन सिद्ध हो सकता है।

■ जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार:

- पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यायालय ने इस अवसर का उपयोग जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के वरिद्ध अधिकार के असत्तिव को चहिनति करने के लिये किया है। न्यायालय ने माना है कि इस अधिकार को भारत के संवधान के तहतसमता के अधिकार (अनुच्छेद 14) और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) से मान्यता प्राप्त होती है।
- न्यायालय ने जीवन के अधिकार के आनंद पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से उत्पन्न खतरे की व्याख्या करते हुए इसकी शुरुआत की। इसके बाद, इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन प्रभावों के प्रतिसंगत संवेदनशीलता प्रभावति व्यक्तियों के समता के अधिकार को खतरे में डालती है।
 - चरचा के अंत में न्यायालय ने माना कि इस अधिकार का स्रोत अनुच्छेद 21 और 14 पर न्यायिक न्यायशास्त्र के संयुक्त पाठ में, भारत की जलवायु परिवर्तन कार्रवाई एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतबिद्धताओं में और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों पर वैज्ञानिक सहमति में है।

■ कोयला आधारति बजिली संयंत्र से दूर जाने की आवश्यकता:

- न्यायालय ने केंद्र सरकार की दलीलों को ध्यान में रखते हुए कोयले से सौर ऊर्जा की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता के मुख्य कारण पर प्रकाश डाला:
 - अगले दो दशकों में वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि में भारत की हसिसेदारी 25% होने की संभावना है, जिससे पर्यावरणीय प्रभावों को कम करते हुए बेहतर ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनरिभरता के लिये सौर ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाना आवश्यक हो गया है। ऐसा करने में वफिलता से कोयले और तेल पर नरिभरता बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक और पर्यावरणीय लागत की वृद्धि हो सकती है।

■ जलवायु वधान और जलवायु संबंधी वाद:

- नरिणय में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये वशिषिट घरेलू कानून की कमी पर ध्यान दिया गया। वर्तमान मामले में भारत के अंतरराष्ट्रीय दायतिवों और प्रतबिद्धताओं को घरेलू कानून में अधनियमति नहीं किया गया है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में वैश्विक स्तर पर वभिन्न ववादों (litigations) का भी संज्ञान लिया। इस क्रम में वशिष रूप से स्टेट ऑफ नीदरलैंड बनाम अर्जेंडा फाउंडेशन मामले में डच सुप्रीम कोर्ट के नरिणय पर ध्यान दिया गया, जिसने चहिनति किया कि जलवायु परिवर्तन न केवल जीवन के अधिकार को प्रभावति करता है, बल्कि निजी एवं पारिवारिक जीवन के अधिकार को भी प्रभावति करता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने 'कमटि ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड' के नरिणय (Sacchi, et al. v. Argentina, et al) पर भी ध्यान दिया, जहाँ कमटि ने पाया कि "जबकि जलवायु परिवर्तन के लिये वैश्विक प्रतक्रिया की आवश्यकता है, व्यक्तगत राज्य जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों में अपने योगदान के संबंध में अपनी सक्रियताओं या नषिक्रयिताओं के लिये जवाबदेही धारण करते हैं।"

■ पूर्व आदेश को रद्द करने की स्थिति में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिये चतिाएँ:

- नरिणय में नवीकरणीय ऊर्जा के लाभों पर अत्यधिक बल:

- मुख्य चतिा इस बात की है कि नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर आक्रामक प्रचार से उत्पन्न होने वाली सामाजिक एवं पर्यावरणीय चतिाओं पर वचिर कये बिना नवीकरणीय ऊर्जा के लाभों पर नरिणय में अत्यधिक बल दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरणीय एवं सामाजिक समस्याएँ भी उत्पन्न करती है जैसा कि GIBs को खतरों के मामले में देखा जा सकता है।

- बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा के लिये भूमिका अधिग्रहण, भूमि तक पारंपरिक समुदाय की पहुँच को प्रतिबंधित किया जाना और जल की खपत बढ़ना शामिल है। पूर्ण जीवन चक्र विश्लेषण से पुष्टि होगी कि लथियम के नषिकर्षण के साथ-साथ सौर पैनलों के नषिटान से गंभीर मुद्दे जुड़े हुए हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये खंडित दृष्टिकोण:**
 - सैकड़ों एकड़ भूमि में वसित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को अभी भी किसी पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है और ये आम तौर पर पर्यावरण कानूनों के दायरे से बाहर हैं। हालाँकि कुछ राज्यों के **कैप्टिव अधिनियम, 1981** और **जल अधिनियम, 1974** के तहत सहमत की आवश्यकता होती है, लेकिन यह अपर्याप्त, तदर्थ एवं खंडित बना रहा है।
 - इससे नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमिति और अप्रतिबंधित वृद्धि के विरुद्ध आम लोगों का वरीध शुरू हो गया है। इसलिये यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि हरित ऊर्जा से हर चीज़ हरी नहीं हो जाती। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिये सौर ऊर्जा पारिषण लाइनों द्वारा उत्पन्न खतरों के मामले में यह स्पष्ट रूप से देखा गया था।
- **‘संतुलन’ की पहली को सुलझाना:**
 - प्राथमिकता क्षेत्र, संभावित क्षेत्र और अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में नए ओवरहेड ट्रांसमिशन पर सामान्य नषिध को हटाने के संबंध में न्यायालय की राय थी कि लगभग 99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सौर ऊर्जा के वितरण के लिये ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना के संबंध में सामान्य नषिध का कोई आधार नहीं है।
 - हालाँकि, सामान्य नषिध न होने के कारणों से सहमत होते हुए भी **सर्वोच्च न्यायालय को पहली बार सामान्य ‘पर्यावरण बनाम वकिस’ की बहस से हटकर ‘पर्यावरण बनाम संरक्षण’ की पहली से संबोधित होना पड़ा।**
 - दो समान रूप से महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों (एक ओर GIBs का संरक्षण तो दूसरी ओर समग्र रूप से पर्यावरण का संरक्षण) को संतुलित करते समय एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है जहाँ एक की कीमत पर दूसरे लक्ष्य का बलिदान नहीं करना पड़े। दोनों लक्ष्यों के बीच का नाजुक संतुलन नहीं बगिड़ना चाहिये।
- **वशिषज्ज समिति को शक्तियाँ हस्तांतरित करना:**
 - वशिषज्ज समिति को प्राथमिकता क्षेत्रों के रूप में चिह्नित क्षेत्र में ओवरहेड और भूमिगत विद्युत लाइनों के दायरे, व्यवहार्यता एवं सीमा का निर्धारण करना होगा। **इसके अलावा, इसे GIBs की सुरक्षा बढ़ाने के लिये आवश्यक किसी भी अन्य उपाय की सफ़ारिश करने की स्वतंत्रता दी गई है।** इसमें प्रजातियों के संरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण समझे जाने पर नषिदषिट प्राथमिकता क्षेत्रों से परे उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें जोड़ना शामिल हो सकता है।
- **अधिकार की अभिव्यक्ति का अभाव:**
 - उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने अधिकार के अस्तित्व को तो चिह्नित किया लेकिन इसे आगे स्पष्ट नहीं किया। इसके अतिरिक्त, इसने अभिव्यक्ति की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। हालाँकि इसने उस कार्य को अपने हाथ में लेने से इनकार कर दिया। तर्कसंगत रूप से, न्यायालय द्वारा अधिकार को स्पष्ट न करने और केवल इसे चिह्नित करने का सचेत विकल्प चुनना पर्यावरणीय मामलों में न्यायालय के सामान्य अभ्यास से वचिलन को दर्शाता है।
 - अधिकांश भारतीय पर्यावरण कानून जनहति के मामलों में न्यायालय के न्यायिक नरिणयों के माध्यम से वकिसति हुए हैं। कई मामलों में इसने पर्यावरणीय अधिकारों और कानूनी सिद्धांतों को प्रत्यारोपित, चिह्नित एवं स्पष्ट किया है।

नवीन नरिणय को अधिक सक्रिय और समावेशी बनाने के लिये कनि वभिन्न दृष्टिकोणों पर वचिर कया जाना चाहिये?

- **जैव वविधिता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई का समन्वयन:**
 - मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि बस्टर्ड प्रजाति पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों को किस प्रकार सीमिति कया जाए। जैसा कि संरक्षणवादियों ने उल्लेख किया है, यह नरिणय दो प्रतिसिपर्द्धी वकिल्पों—यानी या तो जैव वविधिता की रक्षा करना या शमनकारी जलवायु कार्रवाई की अनुमति देना, को प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय मुद्दे पर वचिर करता है। दूसरे शब्दों में, यह जैव वविधिता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई को प्रतिकूल वकिल्पों के रूप में पेश करता है।
 - इसके अलावा, इस दृष्टिकोण में अधिकार की मान्यता को भी प्रासंगिक बनाया गया है जो जैव वविधिता संरक्षण और शमनकारी जलवायु कार्रवाई के साथ मेल खाता है। तदनुसार, इस प्रकार मान्यता प्राप्त अधिकार केवल जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध मनुष्यों के हतियों की रक्षा से संबंधित है, जसि जलवायु परिवर्तन को जैव वविधिता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई को समन्वित कर कम कया जा सकता है।
- **‘जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क’ को पूर्णरूपेण अपनाना:**
 - आगे बढ़ते हुए, एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के अंगीकरण से इस पहली को सुलझाया जा सकता है। यह दृष्टिकोण होगा ‘जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क’ या न्यायपूर्ण संक्रमण ढाँचे का उपयोग करना। वर्तमान में दुनिया भर में जलवायु मामलों में उपयोग कया जा रहे इस दृष्टिकोण का उद्देश्य नमिन-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को अधिक समतामूलक एवं समावेशी बनाना है। यह वशिष रूप से ऐसे संक्रमणों से सबसे अधिक प्रभावित लोगों के हतियों की पूर्त करता है।
 - इसमें अन्य हतिधारकों के साथ-साथ श्रमिक, संवेदनशील समुदाय और छोटे एवं मध्यम आकार के उद्यम शामिल हैं। जहाँ मुख्य मुद्दा वर्तमान मामले के समान है, वहाँ न्यायसंगत संक्रमण ढाँचे का उपयोग करना एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण है।
 - यह धीमी कार्बन संक्रमण परियोजनाओं (इस मामले में सौर ऊर्जा) से खतरे में पड़ने वाले नमिन प्रतनिधित्व रखने वाले हतिधारकों (इस मामले में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) की रक्षा करने की अनुमति देता है।
- **समावेशी और समतामूलक जलवायु कार्रवाई को सुगम बनाना:**
 - यह देखते हुए कि न्यायालय का अंतिम नरिणय अभी भी लंबित है, यह न्यायापालिका के लिये ‘जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क’ का उपयोग करने और समावेशी एवं समतामूलक जलवायु कार्रवाई को सुगम बनाने का एक उत्कृष्ट अवसर है। नरिणय में जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध एक अधिकार को मान्यता दी गई है और इसे अभी तक स्पष्ट नहीं कया गया है।

- यह इस अधिकार के संघटकों पर चर्चा शुरू करने के लिये एक उत्पादक अवसर प्रदान करता है—यानी इसे समावेशी और प्रभावी बनाने का एक अवसर। हालाँकि यह बोझ साझा प्रकृति भी रखता है।
- यह न केवल राज्य पर बल्कि कार्यकर्ताओं, वादियों और शक्तिवादी पर भी (जो अधिकारों की मान्यता, अभिव्यक्ति और प्रवर्तन की प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर अधिकारों को संघटक तत्व प्रदान करते हैं) एक दायित्व लागू करता है।
- **बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाना:**
 - **वभिन्न अधिकारों और हतियों के लिये जीवंत जलवायु कार्रवाई:**
 - सर्वप्रथम, जलवायु कार्रवाई और जैव विविधता की सुरक्षा को 'साइलो' में या पृथक-पृथक स्तर पर देखे जाने से रोकने की आवश्यकता है। इसके बजाय यह समायोजनकारी जलवायु कार्रवाई के लिये एक मामले का निर्माण कर सकता है, यानी वभिन्न अधिकारों और हतियों के लिये जीवंत जलवायु कार्रवाई।
 - **अधिक प्रतविरती जलवायु अधिकारों की अभिव्यक्ति को सक्षम करना:**
 - दूसरा, भारत को अधिक प्रतिक्रियाशील या प्रतविरती जलवायु अधिकारों की अभिव्यक्ति को सक्षम करने का प्रयास करना चाहिये। जलवायु संबंधी वादों में इसका उपयोग यह सुनिश्चित कर सकता है कि जलवायु अधिकारों की अभिव्यक्ति और कार्यान्वयन गैर-मानवीय प्रकृति के हतियों के प्रती भी संवेदनशील है तथा पारस्थितिक न्याय को आगे बढ़ाता है।
 - **गैर-मानवीय हतियों को समायोजित करना:**
 - तीसरा, यदि न्यायालय के अंतिम निर्णय में 'जस्ट ट्रांजिशन फ़रेमवर्क' का उपयोग किया जाता है तो यह मामला गैर-मानवीय हति पर विचार करने वाले पहले न्यायसंगत संक्रमण मुकदमों में से एक होगा।
 - वैश्विक स्तर पर मौजूदा न्यायसंगत संक्रमण मुकदमों में से केवल एक अन्य मामला गैर-मानवीय पर्यावरण के हतियों की रक्षा से संबंधित है। इस प्रकार, वर्तमान मामला ऐसे मुकदमे या वादों में अग्रणी मामला सिद्ध होगा। सैद्धांतिक रूप से, यह मानवीय हतियों से अधिक पर विचार करने के लिये एक न्यायसंगत संक्रमण की अवधारणा का विस्तार करने में योगदान देगा।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिये कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं?

- **प्रजाति पुनर्प्राप्ति/रिकवरी कार्यक्रम:**
 - GIBs को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के [वेनयजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास \(Integrated Development of Wildlife Habitats\)](#) के तहत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Species Recovery Programme) में शामिल किया गया है।
 - केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में GIBs प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम शुरू किया था। इसके तहत WII और राजस्थान वन विभाग ने संयुक्त रूप से प्रजनन केंद्र स्थापित किये जहाँ वन्य परविश के प्राप्त बस्टर्ड के अंडों को कृत्रिम रूप से निषेचित किया गया।
- **फायरफ़्लाइ बर्ड डायवर्टर:**
 - **फायरफ़्लाइ बर्ड डायवर्टर (Firefly Bird Diverters)** बजिली लाइनों पर स्थापित फ़्लैप होते हैं। वे GIBs जैसी पक्षी प्रजातियों के लिये बजिली के तारों पर लटकी परावर्तक संरचनाओं के रूप में कार्य करते हैं। पक्षी इन्हें लगभग 50 मीटर की दूरी से देख सकते हैं और बजिली लाइनों से टकराव से बचने के लिये अपनी उड़ान का रास्ता बदल सकते हैं।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान और गुजरात के मुख्य सचिवों को प्राथमिकता क्षेत्रों में बर्ड डायवर्टर लगाने का आदेश दिया है। इसने उनसे दोनों राज्यों में भूमिगत की जा सकने वाली ट्रांसमिशन लाइनों की कुल लंबाई का आकलन करने के लिये भी कहा है।

SAVING THE GIB

WHAT IS CONSERVATION BREEDING:

Conservation breeding means artificial breeding where birds from the wild are caught and mating takes place in a natural habitat. The second generation of these birds are released into the wild. In the case of GIB, second generation birds will be given to participating states like Gujarat. The states will then take up their own breeding programmes.



FOOD AVAILABILITY: Food availability was significantly higher at foraging sites compared to random locations. Availability of plant food material was higher compared to animal food matter. Ziziphus nummularia fruits were the most abundant food available followed by grasshoppers and Capparis decidua fruits during winter. Termites were found only in one location and in high numbers.

STATE HASN'T MADE ANY EFFORT, SAY WII EXPERTS:

WII experts say that for the last 10 years, the state has been asked to put high-tension lines underground but the state has failed to take any concrete measures. The expert said, "Even if birds are released into the wild they will collide with high-tension lines and die. If Gujarat seeks a male, we will first ask them to give an undertaking with a time-frame for putting the lines underground." An expert said that Devesh Gadhvi, a member of the IUCN expert group on bustards and a member of the state wildlife board, has raised the issue at various meetings and the government also directed the chief wildlife warden to take up the matter with the power companies, but nothing has been achieved.

ISSUES IN GUJARAT

> High tension lines passing through the Naliya area have resulted in the deaths of birds. Two birds that were tagged by the WII died after collisions with power lines.



> The GIB habitat in Kutch is changing drastically due to agriculture and invasion of Prosopis juliflora (gando baval)

> Increase in the number of wind turbines and power lines

> Traditional hunting has been reported by a specific community in the area



> Increase in encroachment on revenue land from core breeding areas but due to the lack of inter-departmental coordination and delays in legal action against encroachments are increasing.



■ आर्टफीसियल हैचिंग:

- वर्ष 2019 में शुरू किये गए संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के तहत वन्य परविश से अंडे एकत्र करने और कृत्रिम रूप से उन्हें सेने (हैचिंग) का कार्य आरंभ हुआ। 21 जून 2019 को पहला चूजा बाहर निकला, जिसका नाम 'यूनो' (Uno) रखा गया। उस वर्ष आठ और चूजे पैदा हुए जिनका पालन-पोषण किया गया तथा उनकी नगिरानी की गई। राजस्थान के दो प्रजनन केंद्रों में कुल 29 GIBs रखे गए हैं।

■ राष्ट्रीय बस्टर्ड रकिवरी योजनाएँ:

- भारत सरकार ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिये एक व्यापक संरक्षण योजना विकसित की है ताकि विभिन्न राज्यों में संरक्षण प्रयासों का समन्वयन एवं मार्गदर्शन किया जा सके।

■ संरक्षण प्रजनन सुविधा:

- MoEF&CC, राजस्थान सरकार और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने जून 2019 में जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में एक संरक्षण प्रजनन सुविधा भी स्थापित की है।

■ प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड:

- इसे राजस्थान सरकार द्वारा इस प्रजाति के लिये प्रजनन बाड़ों का निर्माण करने और इसके पर्यावासों पर मानव दबाव को कम करने के लिये अवसंरचना विकास करने के लिये शुरू किया गया है।

नषिकरष

अपनी प्रमुख कृति 'द आइडिया ऑफ जस्टिस' (2009) में अमरृत्य सेन का तरक है कन्याय के सदिधांत में 'अन्याय को कम करने और न्याय को आगे बढ़ाने' के उपाय शामिल होने चाहयि। ताज़ा नरिणय में भारत के **मुख्य न्यायाधीश** ने एक तरह से इन दोनों वचिरों को समनवति कर दयिा है और चहिनति कयिा है कि नागरकि तब तक स्वतंत्र नहीं होंगे जब तक वे जलवायु परिवरतन के प्रतकिल प्रभाव से मुक्त नहीं होते। इस क्रम में जलवायु वशिषिट कानून, जलवायु परिवरतन पर केंद्रति वाद/मुकदमे और कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण न केवल पर्यावरण के दृषटकिण से, बल्कि भिानवाधकिारों को आगे बढ़ाने और असमानता को कम करने के लयि भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

उममीद की जा सकती है कि ताज़ा नरिणय कानून, नीति और कार्रवाई को इस तरह से आकार देने में मदद करेगा जो यह सुनशिचति करेगा किन केवल नागरकि जलवायु परिवरतन के प्रतकिल प्रभाव से मुक्त हों, बल्कि अंतमि शेष बचे ग्रेट इंडयिन बस्टरड भी बजिली लाइनों में उलझे बनिा स्वतंत्र रूप से उड़ सकें।

अभ्यास प्रश्न: ग्रेट इंडयिन बस्टरड के संरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के हालयिा नरिणय के नहिितार्थों की चरचा कीजयि। इसके संरक्षण हेतु कौन-से उपाय आवश्यक हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा प्राणी समूह संकटापन्न जातयिों के संवरण के अंतरगत आता है? (2012)

- (a) महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशयिाई वन्य गधा।
- (b) कश्मीर महामृग, चीतल, नील गाय और महान भारतीय सारंग।
- (c) हमि तेंदुआ, अनूप मृग, रीसस बंदर और सारस (करेन)
- (d) सहिपुच्छी मेकाक, नील गाय, हनुमान लंगूर और चीतल

उत्तर: (a)

प्रश्न. मरुभूमि राषट्रीय उद्यान के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन सा/ से सही है/हैं? (2020)

- 1. यह दो ज़िलों में वसितृत है।
- 2. उद्यान के अंदर कोई मानव बस्ती नहीं है।
- 3. यह ग्रेट इंडयिन बस्टरड के प्राकृतकि आवासों में से एक है।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)